

10.5.18

व्युत्पन्न उप०

वकील अपी० की पुनः सुनवाई
में लेने बाबत प्राधिकार पत्र पर बहस
सुनी। पुनः रिकॉर्ड करके पत्र वकील देखा०
को कोई आपत्त नहीं है अतः इस
व्यापार के आदेश दि० 22.3.18 को निरस्त
किया जाता है। प्रजापती सं. 4/16 पुनः सुनवाई
में ली जाती है। प्रजापती सं. 4/16 पुनः सुनवाई
लेकर नम्बर से कम हो। प्राधिकार पत्र
मूल प्रजापती के सतत ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली